उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल

श्रीमती सुमन लता पंवार बनाम श्री अजय सिंह दिनांक 15 नवम्बर, 2018

प्रथम अपील नम्बर 77 वर्ष 2013

श्रीमती सुमन लता पंवार ..... याची

बनाम

श्री अजय सिंह ..... विपक्षी

उपस्थित–

श्री घनश्याम जोशी, याची के अधिवक्ता,

श्री बी0 एस0 अधिकारी, विपक्षी के अधिवक्ता

निर्णय

पीठ–

माननीय सुधांशु धूलिया, जज,

माानीय शरद कुमार शर्मा, जज

फैसला सुरक्षित 06 सितम्बर, 2018;

फैसला सुनाया गया– 15 नवम्बर, 2018

1. वर्तमान प्रथम अपील को वादी/अपीलकर्ता द्वारा हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 28 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) सपठित पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 के तहत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसके द्वारा प्रश्न किया गया है कि परिवार न्यायालय, हरिद्वार द्वारा मूल वाद संख्या 325 वर्ष 2007 श्रीमती सुमन लता बनाम अजय सिंह, जो उसके द्वारा धारा 13(1), 25 और 27 अधिनियम में निर्णय और डिक्री दिनांकित 09 अप्रैल, 2013 के माध्यम से उक्त वाद को खारिज किया गया है। परिवार न्यायालय हरिद्वार द्वारा प्रतिवादी के तर्कों और उसके द्वारा रिकॉर्ड में लाये गये साक्ष्यों पर विचार करने के उपरान्त उस मुकदमे को खारिज कर दिया था, जिसमें वादी द्वारी विवाह के विघटन के साथ–साथ धारा 25 अधिनियम के तहत भरण–पोषण भत्ता देने की प्रार्थना की गयी थी, जिसके विरुद्ध यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी है।

2. दिनांक 07.05.2013 को अपील दायर होने के पश्चात इसे अपीलाकर्ता ने दिनांक 12.02.2014 को स्वीकार करने तक रहने दिया था।

तत्पश्चात दिनांक 14.02.2014 से दिनांक 15.03.2015 तक अधिकांश समय इस मामले में कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी।

3. आदेश पत्र के अवलोकन से विदित होता है कि इस न्यायालय में कई मौकों पर अर्थात 17.04.2017 और 21.04.2017 को पक्षकारों को इस न्यायालय में पेश होने और मध्यस्थता के जरिये राजीनामे के आधार पर मामले को निस्तारित करने का प्रयास करने को कहा गया लेकिन ऐसा लगता है कि न्यायालय द्वारा किये गये सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उभयपक्ष किसी भी समझौते तक पहुंचने में विफल रहे हैं तथा मध्यस्थता के सभी प्रयास विफल रहे हैं। मामले में पक्षकारों के मध्य कोई समझौता न होने तथा दोनों पक्षों के मध्य विवाह की पुनर्स्थापना होने की संभावना नहीं है, जिस कारण न्यायालय द्वारा यह अपील गुण–दोष के आधार पर निस्तारित की गयी।

4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री घनश्याम जोशी और प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री बी0 एस0 अधिकारी को विस्तारपूर्वक सुनने के बाद और उभयपक्षों के तर्कों पर विचार करने के बाद निम्नलिखित तर्कों के आधार पर इस अपील का निर्णय किया जा रहा है :

5. मामले के तथ्यों के अनुसार अपीलकर्ता ने दिनांक 21 नवम्बर, 2007 को मूल वाद संख्या 325 वर्ष 2007 सुमन लता पंवार बनाम अजय सिंह के नाम से एक वाद दायर करते हुए दिनांक 03 फरवरी, 2001 को उभयपक्षों के मध्य सम्पन्न विवाह के विघटन की डिक्री की याचना की गयी। साथ ही उसने प्रतिवादी से समस्त स्त्रीधन दिलाये जाने की याचना भी की तथा उसके और उसके बच्चे हनी उर्फ अनमय के भरण–पोषण हेतु धारा 25 और 27 अधिनियम के तहत 10,00,000/– रुपये (दस लाख रुपये) एकमुश्त एलीमनी की याचना की गयी।

6. वादी के वादपत्र के अनुसार वादी का विवाह प्रतिवादी के साथ दिनांक 03 फरवरी, 2001 को आवास–विकास, रानीपुर, हरिद्वार में हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ था। विवाह के पश्चात वह अपने पति के साथ रहती थी तथा वैवाहिक दायित्वों का निर्वहन किया। शादी के पश्चात उसे एहसास हुआ कि उसके पति को शराब पीने की बुरी आदत है और वह अक्सर नशे की हालत में घर आता है। वह अपीलकर्ता के दुर्व्यवहार करता था और मानसिक क्रूरता कारित करता था। उक्त क्रूरता के बावजूद अपने वैवाहिक जीवन को बचाने तथा परिवार में सद्भाव बनाए रखने के लिये वादी, प्रतिवादी के अत्याचारों को सहन करती रही।

7. अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी पर यह भी आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादी उसके माता–पिता के घर से 50,000/– रुपये की राशि लाने के

लिये उस पर दबाव डालता था, जिससे वह नौकरी के लिये कुवैत जाने में सक्षम हो सके। प्रतिवादी की मांग के अनुसार उक्त धनराशि उसे देने से मना करने पर मामले के दोनों पक्षकारों के बीच गलतफहमी और बढ़ गयी तथा अत्याचार की गंभीरता भी बढ़ गयी। वादी के अनुसार शादी के 18 दिन के पश्चात प्रतिवादी, वादी को उसके मायके छोड़कर कुवैत चला गया। अपीलकर्ता ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि दिनांक 24 जनवरी, 2002 को वह भी कुवैत चली गयी और प्रतिवादी/अपने पति के साथ रहने लगी तथा उनके मध्य वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित हुए। कुवैत में रहने के दौरान वादी गर्भवती हुई, लेकिन उसने यह स्वीकार किया है कि गर्भवती होने के बावजूद भी उसके पति ने उसके साथ अत्याचार जारी रखा तथा वह उसके साथ लगातार दुर्व्यवहार करता था। गर्भावस्था के दौरान प्रतिवादी ने वादी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और ना ही उसे नियमित उपचार हेतु चिकित्सकों के पास ले गया। वादी ने स्वीकार किया है कि गर्भावस्था के दौरान वह दिनांक 13 अक्टूबर, 2002 को स्वयं भारत वापस आ गयी और 30 दिसम्बर, 2002 को उसने एक पुत्र को जन्म दिया। प्रतिवादी द्वारा की गयी शारीरिक और मानसिक क्रूरता के कारण उसका अपने पति के साथ वैवाहिक सम्बन्धों में रहना संभव नहीं है तथा उसके द्वारा विवाह विच्छेद की डिक्री की याचना की गयी।

8. हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 25 स्थायी गुजारा भत्ता और भरण–पोषण से सम्बन्धित है। स्थायी गुजारा भत्ता और भरण–पोषण का अनुदान पत्नी या पति द्वारा किये गये आवेदन के अधीन है, जैसा भी मामला हो सकता है, या दोनों परिस्थितियों में विवाह के पक्ष में कोई स्वतंत्र निर्वाह नहीं होता है। एक बार जब अधिनियम की धारा 25 दावेदार द्वारा आवेदन हासिल करने पर विचार करती है तो इसका मतलब है कि धारा 25 अधिनियम के तहत भरण–पोषण के लिये आवेदन करने वाले व्यक्ति को कारण निर्दिष्ट करना होगा, स्थायी गुजारा भत्ता के अनुदान के लिये दावे को सही ठहराना होगा और इसके विचार के लिये आवश्यक कारक होंगे। जब किसी व्यक्ति द्वारा स्थायी गुजारा भत्ता का दावा किया जाता है तो आवेदन अनिवार्य है। बेशक, जैसा कि इस न्यायालय के समक्ष रखे गये रिकॉर्ड से परिलक्षित होता है। अपीलकर्ता द्वारा अधिनियम की धारा 25 के तहत दावे और दावे को सही ठहराने के कारणों के लिये कोई स्वतंत्र आवेदन दायर नहीं किया है। इतना होने पर भी अपीलकर्ताओं द्वारा अधिनियम की धारा 25 के तहत दावे को न्यायोचित ठहराने के लिये वाद में किसी भी तर्क या दलील का अभाव है। स्थायी गुजारा भत्ता का दावा केवल मुकदमे के राहत खण्ड में पाया जाता है जहां पत्नी ने स्थायी गुजारा

भत्ता की राशि को 10 लाख रुपये की समेकित राशि के रूप में निर्धारित किया है।

9. वाद के जबाव में प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये, जिसके द्वारा अपना जबावदावा दाखिल करते हुए वादी के शारीरिक और मानसिक क्रूरता से सम्बन्धित कथनों का खण्डन करते हुए विरोध किया गया तथा इस तथ्य से भी इंकार किया कि वादी अधिनियम की धारा 25 अधिनियम के तहत गुजारा भत्ता पाने के लिये अधिकारी नहीं थी क्योंकि वह प्रतिवादी के साथ वैवाहिक दामपत्यों के निर्वहन में विफल रही थी।

10. प्रतिवादी द्वारा बचाव में यह भी कहा कि वह धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है तथा उसने कभी भी शराब का सेवन नहीं किया तथा परिवार न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा प्रतिवादी द्वारा उसके साथ नशे की हालत में दुर्व्यवहार करने का आरोप जानबूझकर लगाया है। उक्त आरोप काल्पनिक हैं तथा बिना किसी आधार के हैं। प्रतिवादी द्वारा इस बात से भी इंकार किया गया कि उसने अपनी नौकरी करने कुवैत जाने हेतु वादी से 50,000/– रुपये लाने को कहा या उसे विवश किया।

11. अतिरिक्त याचिका में उसने यह भी कथन किया है कि वह कुवैत में एक छोटी सी दुकान में सैल्समैन के रूप में कार्य कर रहा है जो विभिन्न छोटी वस्तुओं का कारोबार करती है। भारतीय मुद्रा के अनुसार वह केवल 25,000/–रुपये कमाता है। उसने यह भी स्वीकार किया कि उक्त धनराशि उसके स्वयं के खर्चों को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है, जबकि उक्त धनराशि में से कुछ हिस्सा उसे अपने वृद्ध माता–पिता, भाई और परिवार के अन्य सदस्यों का भरण–पोषण करने के लिये देना पड़ता है, जो उसी पर निर्भर हैं। उसने यह भी स्वीकार किया कि वह जब कुवैत से छुट्टी पर आता था, तो वादी की देखभाल करता था और पत्नी के रूप में उस पर सारा प्यार और स्नेह बरसाता था। इस प्रकार अतिरिक्त याचिका में उसके द्वारा वादी द्वारा लगाये गये आरोप झूठे, काल्पनिक व मनगढ़ंत होने के कारण वाद को खारिज किये जाने की याचना की।

12. पेचिदगियां और सच्चाई का जटिल दायरा भी जो इस स्तर पर बदली हुयी स्थिति को देखते हुये, इसकी गहराई में विचार करने के लिए प्रासंगिक नहीं है।

13. उभयपक्षों के तर्कों के पश्चात विद्वान परिवार न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 25 अप्रैल, 2008, 15 जुलाई, 2008 और 14 मार्च, 2013 द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं को निर्धारित किया गया था –

1. क्या प्रतिवादी ने वादी के साथ क्रूर आचरण किया है ? जैसा कि वाद में वर्णित है ?

2. क्या वादी अपने और अपने बच्चे के लिये गुजारा भत्ता पाने की हकदार है ?

3. क्या वादी वाद के साथ संलग्न सूची में वर्णित वस्तुओं को प्राप्त करने की अधिकारी है ?

4. यदि हां, तो वादी कौन सा अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी है ?

5. क्या प्रतिवादी मास्टर अनुतोष, जिसकी जन्मतिथि 20.12.2002 है, की अभिरक्षा और कब्जा पाने का हकदार है ?

6. क्या प्रतिवादी ने याचिका पेश करने की तारीख से पूर्व दो साल से अधिक समय से वादी का परित्याग किया है ? यदि हां, तो प्रभाव ?

14. वादी ने मौखिक साक्ष्य में पी0डब्ल्यू0– 01 के रूप में स्वयं को परीक्षित कराया है और सोभन सिंह को पी0डब्ल्यू0– 02 के रूप में तथा अन्नू अग्रवाल को पी0डब्ल्यू0– 03 के रूप में परीक्षित कराया गया है। अपीलकर्ता द्वारा दस्तावेज सूची 74सी से पारिवारिक वीजा के दस्तावेजों की छायाप्रति 75सी1 लगायत 75सी4 को दाखिल किया गया। प्रतिवादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में स्वयं को डी0डब्ल्यू0–01 के रूप में तथा अरविन्द कुंवर को डी0डब्ल्यू0–02 एवं श्रीमती उषा देवी को डी0 डब्ल्यू0– 03 के रूप में परीक्षित कराया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में सूची 18 से बैंक ड्राफ्ट की कॉपी 19सी1, पार्सल के रिसिप्ट की छायाप्रति 19/2, सुमन लता के प्रवास प्रमाणपत्र की प्रति 19/3, वादी का हस्तलिखित पत्र 20बी/1 लगायत 20बी/3, फोटोग्राफ्स 21सी2/1 लगायत 21सी2/26, उपचार के बिल और रसीदें 21सी2/27 लगायत 21सी2/45 दाखिल किये गये तथा कागज सख्या 20बी/1 लगायत 20बी/3 में प्रदर्श–1 डाला गया।

15. वर्तमान मामले में अधिनियम की धारा 13 के तहत कार्यवाही पर विचार करने के प्रयोजनों के लिये, उन निष्कर्षों पर विचार करना प्रासंगिक होगा जो क्रूरता सें संबंधित अंक संख्या 01 पर दर्ज किये गये हैं जो कि कार्यवाही का आधार हैं। विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने निष्कर्ष दिया है कि वास्तव में कोई क्रूरता नहीं थी और न ही इसे अपीलकर्ता द्वारा स्थापित किया गया था। मुख्य रूप से इस स्तर पर हम जिस मुद्दे से सम्बन्धित हैं, वह मुद्दा नम्बर 1 ही है, जो इस आशय का है कि क्या वास्तव में पति द्व ारा पत्नी पर क्रूरता बरती गयी थी, जैसा कि उसके द्वारा आरोप लगाया गया था ताकि पत्नी को अधिकार दिया जा सके। अपने पति से तलाक की मांग करना और यह जानना कि क्या दलील दी गयी क्रूरता की प्रकृति धारा 13(1)(i-a) अधिनियम के तहत क्रूरता के दायरे में आयेगी।

16. सम्बन्धित मामले के साबित करने के लिये पक्षकारों ने मौखिक और

दस्तावेजी दोनों तरह से अपने साक्ष्य पेश किये। विचारण न्यायालय ने बिन्दु संख्या 01 को निस्तारित करते हुए यह माना है कि पति के शराब पीने, दुर्व्यवहार करने और शारीरिक रूप से हमला करने के सम्बन्ध में अपीलकर्ता/वादी की याचिका को दर्ज किया जा रहा है कि लिखित बयान में प्रतिवादी कथित तथ्यों से विशेष रूप से इंकार नही ंकिया है जो सिविल कार्यवाही में एक स्वीकारोक्ति है जो सबसे अच्छा सबूत है। अदालत ने माना है कि गवाहों यानी डी0डब्ल्यू0–02 अरविन्द कुमार और डी0डब्ल्यू–03 उषा देवी की जिरह में वादी द्वारा वाद में कथित क्रूरता की कथित कार्यवाही की स्थापना से सम्बन्धित ऐसा कोई सवाल नहीं किया था।

17. वाद संख्या 01 के निस्तारण के लिये न्यायालय ने यह कारण दिया है कि चूंकि शादी के बाद पति–पत्नी मसूरी, वैष्णो देवी और मुम्बई गये थे और इसे इस तथ्य के रूप में माना जा रहा है कि जैसे कि परिवार न्यायालय द्वारा दिया गया यह तर्क कि पति द्वारा कोई क्रूरता नहीं बरती गयी, सही तर्क नहीं है। यह एक सामान्य अनुभव है कि विवाह के प्रारंभिक चरण में युगल एक–दूसरे के प्रति अपनी समझ बढ़ाने के लिये विभिन्न स्थानों पर जाते हैं, लेकिन यह अपने आप में इस बात का प्रमाण नहीं माना जा सकता है कि केवल इसलिये क्रूरता नहीं बरती थी कि वह शादी के बाद बाहर गये हैं। विद्वान विचारण न्यायालय ने पत्र संख्या 20बी/1 लगायत 20बी/2 प्रदर्श–1 जो अपीलकर्ता द्वारा पति को लिखे गये पत्र हैं, पर विचार करते हुए न्यायालय ने उन पत्रों की सामग्री की व्याख्या इस प्रकार की जैसे कि उन पत्रों में पत्नी ने कभी नहीं लिखा है कि पति शराब पीने के बाद बदसलूकी करता था और इसलिये यह अनुमान लगाया गया कि पति और पत्नी के बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध थे, जो अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य को गलत तरीके से पढ़ना होगा क्योंकि एक दस्तावेज की बहुत ही बेतुकी व्याख्या है क्योंकि पत्रों की सामग्री हमेशा पत्र लिखने वाले के इरादों पर निर्भर करेगी कि किन परिस्थितियों में और किस शारीरिक ढांचे के तहत वे पत्र लिखे गये थे। साक्ष्य में इसे पढ़कर इसकी सख्त व्याख्या नहीं की जा सकती है और यह निष्कर्ष निकालने का एक सुरक्षित तरीका नहीं होगा कि पति द्वारा कोई क्रूरता नहीं बरती गयी थी। केवल उन पत्रों से यह निष्कर्ष निकालना कि कोई क्रूरता का प्रयोग नहीं किया गया था, न्यायालय द्वारा दिया गया उचित सादृश्य और न्यायिक निष्कर्ष नहीं होगा।

18. परिवार न्यायालय द्वारा दिया गया एक अन्य कारण यह है कि अपीलकर्ता 24 जनवरी, 2002 को कुवैत गया था और कुवैत की यात्रा करने के लिए उसके द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज, चूंकि स्वयं पत्नी द्वारा तैयार किए गए थे, एक अनुमान लगाया गया है कि कोई क्रुरता नहीं है, यह

तार्किक निष्कर्ष नहीं है। चूंकि विदेश यात्रा करने के लिए दस्तावेज तैयार करना फिर से एक नियमित प्रक्रिया है, जिसका अधिनियम की धारा 13 के तहत क्रूरता करने और न करने के संबंध में कोई प्रभाव नहीं है।

19. एक अन्य दृष्टिकोण जो फैमिली कोर्ट द्वारा क्रूरता से संबंधित मुद्दा संख्या–1 का फैसला करते समय लिया गया है कि पति द्वारा कोई क्रूरता नहीं की गई थी, केवल इस तथ्य के कारण कि पति के परिवार के सदस्य हवाई अड्डे पर अगवानी करने गये थे। जब वह कुवैत से गर्भावस्था के चरण में लौटी थी और फिर एक निष्कर्ष निकाल रही थी कि यह अपने आप में यह होगा कि परिवार के सदस्यों के बीच भी सौहर्द पूर्ण संबंध थे और इस प्रकार कोइ क्रूरता नहीं थी। वास्तव में क्रूरता का कृत्य पति और पत्नी के बीच का कृत्य है और यह धारा 13 के उद्देश्य से किसी भी पक्ष के परिवार के सदस्यों के कार्य और कार्यवाही से उनके स्वागत के इशारे के कारण कार्यवाही के लिए प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह निर्धारित करने का एक बहुत ही सुरक्षित तरीका नहीं हो सकता है, विशेष रूप से एक कार्यवाही के तहत धारा 13 अधिनियम जहां पत्नी यह आरोप लगाती है कि पति अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का प्रयास कर रहा था। उक्त कार्यवाही के लिए केवल निवेदन ही पर्याप्त है। क्योंकि यह एक ऐसा कार्य है जिसे किसी भी साक्ष्य से साबित नहीं किया जा सकता है और विशेष रूप से जब पत्नी यह दावा करती है कि पति लौंडेबाजी के लिए मजबूर कर रहा था। यह एक क्रूरता होगी, इसका कारण यह है कि कोई भी पत्नी कभी भी बचाव में क्रूरता का निर्धारण करने के लिए इस तरह केकृत्य का अनुरोध नहीं करेगी। इस प्रकार विद्वान कुटुम्ब न्यायालय ने जो मत दिया है कि पति द्वारा कोई क्रूरता नहीं बरती गई थी, निकॉर्ड में मौजूद साक्ष्य के विपरीत है। चूंकि क्रूरता का कार्य प्रतिवादी द्वारा मौन रूप से स्वीकार किए गए कार्य और कार्यवाही द्वारा स्थापित किया गया है और पत्नी द्वारा रिकॉर्ड में लाए गए तर्क और साक्ष्य को देखते हुए यह अपील इस आधार पर भी स्वीकार की जाने योग्य है। अपीलार्थी के विरूद्ध अधिनियम की धारा 27 में स्त्रीधन वापसी का निर्णय किया गया है।

20. चूंकि यह माना गया है कि पत्नी की दलीलों और उसके द्वारा दिए गए सबूतों के अनुसार, क्रूरता का तथ्य स्थापित हो गया है, क्योंकि परिवार न्यायालय की ओर से सबूतों को गलत तरीके से पढ़ा गया है साथ ही साथ उसे परित्याग का सामना करना पड़ा है जैसा कि वह अक्सर रकता था। अपीलकर्ता को उचित और उचित ध्यान दिए बिना कुवैत में करना और इस तथ्य के कारण भी कि उसने नशे की हालत में दुर्व्यवहार करने के कार्य के संबंध में लिखित बयान में विशेष रूप से इंकार नहीं किया है, तलाक की

डिक्री अपीलकर्ता को दी जानी चाहिए। इसमें दी गई परिस्थितियों में, इस तरह के टूटे हुए रिश्ते को जारी रखना एक पक्ष को मजबूरी में जीवन बिताने के लिए मजबूर करने जैसा होगा, जो कभी भी अधिनियम का उद्देश्य नहीं हो सकता है।

21. तद्नुसार अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच 03 फरवरी, 2001 को हुए विवाह को तलाक की डिक्री कर भंग किया जाता है। वाद संख्या 325/2007 ..... जहां तक अधिनियम की धारा 25 के तहत गुजारा भत्ता का सम्बन्ध है, अनुतोष संख्या 2 को देखते हुए, जिसका अपीलकर्ता ने वाद में दावा किया है, उसने गुजारा भत्ता के लिये 10 लाख रुपये समेकित राशि की मांग की है, यह देखते हुए कि 11 वर्ष की मुकदमेबाजी के पश्चात इस अदालत के समक्ष पहले अपीलीय चरण तक चलने वाली मुकदमेबाजी धारा 25 अधिनियम के आशय और उद्देश्य को पूरा करने के लिये 12.5 लाख रुपये पर्याप्त होंगे। प्रतिवादी, अपीलकर्ता को 12.5 लाख रुपये की उक्त राशि का भुगतान करने के लिये सहमत हो गया, जिसे उसने स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया है। 12.5 लाख रुपये की कुल राशि निम्नलिखित तरीके से आवंटित की जाएगी–

1. 7.5 लाख रुपये पत्नी को दिये जाएंगे,
2. 3 लाख रुपये बेटे के वयस्क होने तक सावधि जमा में निवेश किये जाएंगे।
3. शेष 2 लाख रुपये की राशि का उपयोग अपीलकर्ता द्वारा बच्चे की देखभाल के लिये किया जाएगा।

22. उपरोक्त टिप्पणियों के अधीन प्रथम अपील स्वीकार की जाती है। जहां तक अधिनियम की धारा 13(1)(i-a) और अधिनियम की धारा 25 का सम्बन्ध है, अधिनियम की धारा 13 के तहत वाद आंशिक रूप से निर्णीत है, हालांकि स्त्रीधन की वापसी के लिये अधिनियम की धारा 27 को खारिज कर दिया गया।

(शरद कुमार शर्मा, न्यायाधीश) (सुधांशु धूलिया, न्यायाधीश)

15.11.2018 15.11.2018